कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

क्रमांक / 2017 / मनरेगा / प्रशि0 / 2019–20 बलरामपुर, दिनांक 08 / 08 / 2019

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

/ / मनरेगा अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु रूचि की अभिवयक्ति के संबंध में / /

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर–रामानुजगंज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद पंचायत में पदस्थ कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सहायकों तथा चिन्हांकित PRI के सदस्यों को वाटरशेड के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना हैं। जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान, गैर शासकीय संस्था, फर्म / व्यक्ति अथवा कम्पनी की आवश्यकता है। प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की कुल संख्या 100 हैं, जिसके लिए दिनांक 08 / 08 / 2019 से दिनांक 19 / 08 / 2019 तक सायः 5.30 बजें तक भौतिक एवं वित्तीय निविदा सील बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं।

निर्धारित तिथियॉ

आवेदन की अंतिम तिथि	:– 19 / 08 / 2019
आवेदनों के लिफाफे खोलने की अंतिम तिथि	:– 20 / 08 / 2019

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदाकर्त्ता फर्म का पंजीय कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार हों जिसका आवश्यक दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न हों।
2. संबंधित संस्थान जो प्रशिक्षण प्रदाता है वह मंत्रालय ग्रामीण विकास से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य हैं एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्य कराया हो।
3. निविदाकर्त्ता फर्म को न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव हो एवं प्रशिक्षण कार्य का संम्पादन कराया हो व वाटरशेड से संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव हो या किसी प्रोटेक्ट में कार्य किया हो।
4. मनरेगा योजना अन्तर्गत वाटरशेड प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य किया हो ऐसी संस्था / फर्म / कम्पनी या NGO को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के पास प्रशिक्षक कम से कम एम0टेक इंजिनियर एवं पीएचडी धारक हो जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिये हो साथ ही पीएचडी धारक संस्थान को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. निविदाकर्त्ता संस्था / फर्म / कम्पनी या NGO का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 10 करोड़ तक होना अनिवार्य हैं।
7. निविदाकर्त्ता फर्म मनरेगा अन्तर्गत IWMP या किसी अन्य प्रोग्राम में भाग लिया हो।
8. चूकी यह आवासीय प्रशिक्षण है जिसके लिए आवास, भोजन, फील्ड विजिट हेतु पर्याप्त साधन हो जिसका उल्लेख संस्थान अपने प्रपत्र अवश्य करें।
9. निविदाकर्त्ता फर्म द्वारा Technical Bid एवं Financial Bid पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावेगा। सबसे पहले Technical Bid खोला जावेगा। सम्पूर्ण दस्तावेज तथा नियम एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले संबंधित फर्म का Financial Bid खोला जावेगा। नियम एवं शर्ते पूर्ण नही करने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।
10. प्रशिक्षुओं की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं।

8/8/19

11. निविदा में किसी प्रकार का विवाद होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक / कलेक्टर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
12. निविदा स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक या कार्यालय में स्वंय आकर निविदा निर्धारित तिथि 19 / 08 / 2019 तक जमा कर सकते हैं।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलरामपुर–रामानुजगंज